न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(डॉ. सौम्या झा,आई0ए0एस0द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 08/2010
प्रविष्टि दिनांक 23.02.2024

श्योजीराम पुत्र रामरख जाति जाट निवासी सुरेली तहसील उनियारा जिला टोंक राज0

–निगरानीकर्ता

बनाम

1–रमेशचन्द पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति ढोली निवासी सुरेली तहसील उनियारा जिला टोंक
2–ज्ञानेन्द्रसिंह पुत्र लखपतसिंह जाति राजपूत निवासी सुरेली तहसील उनियारा जिला टोंक
3–ग्राम पंचायत सुरेली पंचायत समिति अलीगढ जरिये सरपंच

–प्रतिपक्षीगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज.पंचायत अधिनियम 1994 विरूद्व पट्टा दिनांक15.10.1999

उपस्थिति : (1) श्री जितेन्द्र कुमार जैन,अभिभाषक निगरानीकर्ता
(2) श्री अशोक कासलीवाल,अभिभाषक प्रतिपक्षी संख्या 1

निर्णय

दिनांक 24.09.2024

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र निगरानी का सार इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत सुरेली पंचायत समिति अलीगढ द्वारा प्रतिपक्षी संख्या 1 के पक्ष मे दिनांक 15.10.1999 को आबादी भूमि का विक्रय–विलेख(पट्टा) वाके ग्राम सुरेली मे 2829 वर्गफीट भूमि का जारी किया है। निगरानीकर्ता ने सरपंच ग्राम पंचायत सुरेली के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी प्रतिपक्षी जरिए सम्मन की गई एंव ग्राम पंचायत सुरेली से पट्टे की पत्रावली तलब की गई। ग्राम सेवक पदेन सचिव ग्राम पंचायत सुरेली पंचायत समिति उनियारा ने उनके पत्र क्रमांक 33 दिनांक 25.05.2011 से अवगत कराया है कि उक्त पट्टे से सबंधित पत्रावली एंव पट्टा बुक पंचायत को रिकार्ड मे सुपुर्द नही की गई है। प्रार्थना पत्र धारा 5 लिमि. एक्ट पर अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। न्यायहित मे प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अभिभाषकगण की प्रकरण मे अन्तिम बहस सुनी गई।

जिला कलेक्टर
टोंक

विद्वान अभिभाषक निगरानीकर्ता ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम पंचायत सुरेली के तत्कालीन सरंपच प्रतिपक्षी सं. 2 द्वारा प्रतिपक्षी सं. 1 के हक मे जारी किया गया पटटा/विक्रय विलेख भूखण्ड दिनाक 15.10.1999 अवैधानिक एवं राजस्थान पंचायती राज नियमो के प्रतिकूल है। प्रतिपक्षी सं. 1 के हक मे दिनाक 15.10.99 को जो पट्टा जारी किया गया है वह राजस्थान पंचायत एक्ट 1953 की धारा 67 के पट्टा प्रोफार्मा पर जारी है,जबकि दिनाक 15.10.99 को राजस्थान पंचायत अधिनियम में संशोधन होकर 1994 का अधिनियम लागू हो चुका होने के बावजूद भी 1953 के प्रोफार्मा पर पट्टा जारी कर दिया गया है,जिसका ग्राम पंचायत में कोई रिकार्ड भी नहीं है। उक्त पट्टा प्रतिपक्षी सं. 2 द्वारा फर्जी रूप से जारी किया गया है जो अवेधानिक है। प्रतिपक्षी सं. 2 ग्राम पंचायत सुरेली मे तत्कालीन सरंपच था उसने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए चुपचाप पट्टा बना कर दिया है,जबकि पट्टा जारी करने से सम्बन्धित राजस्थान पंचायतराज अधिनियम 1994 के अधीन प्रदत्त प्रावधानो के अनुसरण में उक्त पट्टा नियमानुसार प्रकिया अपनाई जाकर जारी किया जाना चाहिये था,प्रतिपक्षी सं. 2 ने प्रतिपक्षी सं. 1 से आर्थिक लाभ कमाने के उद्देश्य से यह फर्जी व जाली विकृय विलेख जारी किया है।ग्राम पंचायत ने सम्पूर्ण कोरम के दो तिहाई सदस्यो की सहमति से नियमानुसार प्रस्ताव या निर्णय नहीं लिया गया,बल्कि सीधे ही सरपंच ने अपने प्रभाव का दुरुपयोग करते हुए मोहर लगाकर अपने हस्ताक्षार कर पट्टा बना दिया गया है जो कि एक अवैधानिक दस्तावेज है। विकय विलेख जारी किये जाने से पूर्व मौके की जांच नहीं की गई एवं सार्वजनिक रूप से सूचना चस्पा नही की गई और ना ही अन्य विधि सम्मत नियमो की औपचारिकताएं पूर्ण की गई है। केवल मात्र दिखावटी/कागजी कार्यवाही है जिसकी कोई विधिक मान्यता नही है। विक्रय विलेख पर न तो पंचायत का मिसल नम्बर अकिंत है और ना ही पंचायत के सचिव के हस्ताक्षर है। पटटे से सम्बन्धित पत्रावली ग्राम पंचायत में उपलब्ध नही है जिससे उक्त पटटा अवैधानिक है। वादग्रस्त पट्टे में वर्णित भूमि पर निगरानीकर्ता का वर्षों से कब्जा चला आ रहा है तथा आज भी स्वामित्व व आधिपत्य में है। पटवारी ने उक्त पट्टा आराजी खसरा नम्बर 1133 रकबा 0.06 किस्म गै.मु.वाडा सरकारी सिवायचक भूमि मे स्थित है कि रिपोर्ट की है। अतः ग्राम पंचायत सुरेली द्वारा जारी पट्टा दिनांक 15.10.1999 को निरस्त किया जाना न्यायसंगत है।

विद्वान अभिभाषक प्रतिपक्षी संख्या 1 ने जवाबी बहस मे कथन किया कि सरपंच ग्राम पंचायत सुरेली द्वारा दिनांक 15.10.1999 को उक्त पट्टा जारी किया गया है,परन्तु निगरानीकर्ता द्वारा वर्ष 2010 में इसे निरस्त कराने हेतु निगरानी पेश की है। निगरानीकर्ता को उक्त निगरानी पेश करने का कोई अधिकार नहीं है। निगरानीकर्ता अतिक्रमी है और अतिक्रमी को ऐसा कोई अधिकार नहीं है। उक्त भूमि आबादी भूमि के निकट स्थित होने से आबादी भूमि मानी जावें। ग्राम पंचायत ने कोई रिकॉर्ड नहीं भिजवाया है,लेकिन ऐसा भी कोई वर्णन नहीं किया हैं कि यह पट्टा अवैधानिक या फर्जी है। उक्त पट्टा मान्य है जब तक कि इसे पंचायत द्वारा अवैध घोषित कर संबंधित पुलिस थाने मे प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई जाती। निगरानीकर्ता द्वारा सिविल न्यायाधीश उनियारा मे वाद दायर करने पर सिविल न्यायाधीश उनियारा द्वारा दायर वाद को नॉन निगरानीकर्ता के पक्ष में निर्णित किया है। निर्णित करने के उपरांत निगरानीकर्ता द्वारा निर्णय की अपील माननीय जिला न्यायाधीश महोदय टोंक के समक्ष प्रस्तुत करने पर माननीय न्यायालय द्वारा पत्रावली रिमाण्ड की गई है। तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि पटवारी द्वारा

जिला कलक्टर
टोंक

श्योजी का गत 19 वर्षों से उक्त भूमि पर कब्जा माना है,परन्तु पटवारी इस कब्जे के बारे में कैसे जानता है इस संबंध में कोई साक्ष्य पेश नहीं किये है। निगरानी कानूनन चलने योग्य नहीं है। ग्राम पंचायत सुरेली द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाये जाकर पट्टा जारी किया गया है। अतः निगरानी निरस्त योग्य है।

हमने विद्वान अभिभाषकगण कि बहस पर मनन किया तथा पत्रावली मे उपलब्ध पट्टे कि छायाप्रति का अवलोकन किया। ग्राम पंचायत सुरेली पंचायत समिति अलीगढ द्वारा राजस्थान पंचायत एक्ट 1953 कर धारा 87 के तहत आबादी भूमि का विक्रय–विलेख (पट्टा) दिनांक 15.10.1999 को जारी किया गया है,जिसका माप उत्तर मे 55 फीट,दक्षिण मे 68 फीट,पूर्व मे 46 फीट व पश्चिम मे 46 कुल क्षेत्रफल 2829 वर्गफीट रमेश चन्द ढोली पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति ढोली निवासी सुरेली के हक मे जारी किया गया है।

अभिभाषक प्रतिपक्षी संख्या–1 का कथन है कि उक्त भूमि आबादी भूमि के निकट स्थित होने से आबादी भूमि मानी जावें। ग्राम पंचायत ने कोई रिकॉर्ड नहीं भिजवाया है,लेकिन ऐसा भी कोई वर्णन नहीं किया हैं कि यह पट्टा अवैधानिक या फर्जी है,परन्तु प्रकरण/निगरानी मे न्यायालय हाजा द्वारा तहसीलदार उनियारा से वादग्रस्त भू–खण्ड/पट्टा ग्राम सुरेली की आबादी भूमि मे है अथवा सिवायचक भूमि मे कि मौका रिपोर्ट चाहे जाने पर तहसीलदार उनियारा ने अपने पत्र क्रमांक 264 दिनांक 26.03.2019 से रिपोर्ट प्रेषित कर अंकित किया है कि वादग्रस्त भूमि का मौका निरीक्षण भू–अभिलेख निरीक्षक वृत बनेठा व पटवारी हल्का सुरेली द्वारा वादी व प्रतिवादी की उपस्थित मे किया गया है। मुताबिक मौका निरीक्षण विवादित स्थल वाके ग्राम सुरेली के आराजी खसरा नम्बर 1133 रकबा 0.06 है. किस्म गै.मु.बाडा सरकारी सिवायचक भूमि मे स्थित है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि सरपंच ग्राम पंचायत सुरेली पंचायत समिति अलीगढ द्वारा दिनांक 15.10.1999 को जारी किया गया पट्टा आबादी भूमि मे ना होकर सिवायचक भूमि मे जारी किया गया है। ऐसी स्थिति मे सरपंच ग्राम पंचायत सुरेली पंचायत समिति अलीगढ द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः निगरानी निगरानीकर्ता स्वीकार कर सरपंच ग्राम पंचायत सुरेली पंचायत समिति अलीगढ द्वारा दिनांक 15.10.1999 को प्रतिपक्षी संख्या–1 के हक मे जारी किये गये पट्टे को निरस्त किया जाता है और नायब तहसीलदार बनेठा को निर्देशित किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 1133 रकबा 0.06 है. वाके ग्राम सुरेली के संबंध मे राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नियमानुसार कार्यवाही करे। निर्णय कि प्रति नायब तहसीलदार बनेठा को भी प्रेषित कि जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.09.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ सौम्या झा)
जिला कलेक्टर, टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक